

॥ श्री ॥

राजस्व स्वमेव निग. प्र. क्र. : /2016

प्रस्तुति दिनांक : 16/08/2016

रा.रा.श्रीमान् राजस्व मण्डल (म.प्र.) बेटमा इन्दौर के समक्ष

निग - 2814-PBR-16

श्रीमती शारदा चौहान पति श्री रामेश्वर चौहान  
उम्र - वयस्क,  
निवासी - मालवीय मोहल्ला, बेटमा  
तह. देपालपुर जिला इन्दौर (म.प्र.)

...शिकायतकर्ता/प्रार्थनी

विरुद्ध

(1) स्व. जगन्नाथ पिता स्व. सुखराम चौहान,  
मृतक तर्फे वारिस

(अ) बाबुलाल पिता स्व. जगन्नाथ चौहान  
उम्र वयस्क,  
निवासी - वार्ड क्रं. 13 नया 9 मालवीय  
मोहल्ला बेटमा तह. देपालपुर  
जिला इन्दौर (म.प्र.)

(ब) कैलाश पिता स्व. जगन्नाथ चौहान (पति बलवंतसिंह)  
उम्र वयस्क, निवासी - सदर

(स) श्रीमती सुमनबाई पिता स्व. जगन्नाथ चौहान  
उम्र वयस्क, निवासी - सदर

(2) नगर पंचायत (नगर परिषद) बेटमा  
तर्फे चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर बेटमा  
ठिकाना नगर पंचायत बेटमा तह. देपालपुर  
जिला इन्दौर (म.प्र.)

...प्रतिप्रार्थीगण

स्वमेव निगरानी अर्ज धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत

प्रार्थनी/शिकायतकर्ता की विनंती है कि :-

श्रीमान नायब तहसीलदार टप्पा बेटमा तह. देपालपुर  
जिला इन्दौर के राजस्व प्रकरण क्रं. 45-अ-6/94-95 (म.प्र. शासन  
विरुद्ध लावारिस खाता) में दिनांक 07.06.1996 को पारित आदेश से  
व्यथित एवं दुखित होकर प्रार्थनी/शिकायतकर्ता यह स्वमेव निगरानी अन्य  
कारण के अतिरिक्त निम्न कारणों से प्रस्तुत की है :-

श्री विजय चौहान  
कर्मिण्डा वीप  
कैप इन्दौर  
16/8/16  
श्री



राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग-अ

प्रकरण क्रमांक R 2814 - PBR/16

विरुद्ध श्री. राज-नाथ शर्मा

तहसील देवास जिला इंदौर

आयुक्त के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक. जिलाध्यक्ष के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक.

अनुविभागीय पदाधिकारी के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक. तहसील का प्रकरण क्रमांक.


वाद का विषय

अधिनियम एवं धारा जिसके अन्तर्गत प्रकरण यहां प्रस्तुत हुआ है

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
17-8-2016	<p>आयुक्त संभाग / जिलाध्यक्ष, जिला M.T. Betwa</p> <p>के मूल / अपीलीय आदेश दिनांक 7/6/1996</p> <p>के विरुद्ध श्री</p> <p>के अभिभावक द्वारा अपील/पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन-पत्र प्रस्तुत किया गया जो पंजीबद्ध किया जा चुका है।</p> <p>पुनरावलोकन अवधि बाह्य है/ नहीं है/ मुद्रांक शुल्क पूर्ण है/.....</p> <p>.....रु. की कमी है। आदेश, जिसके विरुद्ध यह अपील/पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन है, की प्रतिलिपि संलग्न है/ नहीं है। अपील / पुनरीक्षण / पुनरावलोकन की प्रतियां दी गई हैं/ नहीं दी गई हैं। आव्हान शुल्क दे दिया है/ नहीं दिया है।</p> <p>प्रस्तुतकार</p> <p>आवेदक की अर्ज पर श्री विजय चौराहा अभिभावक उपस्थित। ग्राह्यता पर सुना गया। मूल आवेदन पत्र कमेक्टर इंदौर को इस निर्देश के साथ भेजा जाये कि</p>	<p>Noted 17/8/16</p> <p>OK</p> <p>विजय चौराहा</p> <p>OK</p> <p>11/8/16</p>

Handwritten signature

R.2814-PB/16 इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं प्रमाणिका आदि के हस्ताक्षर
	<p>के आवेदन पत्र में उल्लेखित शर्तों की जांच करते और यदि आवश्यक हो तो प्रकरण में सुधार से निगरानी की कार्यवाही को 13 त प्रकरण में कार्यवाही शेष नहीं होने से समाप्त किया जाता है।</p>	<p> अध्यक्ष</p>

